लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1466

जिसका उत्तर बुधवार, 04 दिसंबर, 2024 को दिया जाएगा

खाद्यान्न की बर्बादी

1466. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्नों से संबंधित कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) दादरा और नागर हवेली में बर्बाद हुए भोजन की मात्रा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने हेतु कोई नीति तैयार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकारी कार्यालयों, कैंटीनों और खाद्य पदार्थों की दुकानों में भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने निजी स्थानों पर खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम करने के लिए प्रोत्साहन आरंभ किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (ङ) : उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (एमओसीएएफएंडपीडी) द्वारा देश में खाद्यान्न से संबंधित कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। हालांकि, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय देश भर में अपने 11 गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठों के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डार निगम और राज्य एजेंसियों, उचित मूल्य की दुकानों आदि के गोदामों से यादृच्छिक नमूने लेकर उनका विश्लेषण करके भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को सहायता प्रदान करता है। आवश्यकता पड़ने पर गुणवत्ता मैनुअल के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई भी की जाती है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) देश भर में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सहित सुरक्षित खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई पूरे वर्ष विभिन्न खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी करता है। सितंबर, 2024 में सुरक्षा और गुणवत्ता मापदंडों की जांच के लिए दालें, चावल, गेहूं, जई, बाजरा, मसूर, हरा चना आदि सहित खाद्यान्नों के लिए एक निगरानी अभियान चलाया गया था।

देश में खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने के लिए नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। हालांकि, सरकारी कार्यालयों, कैंटीनों, खाद्य दुकानों आदि में भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए सरकार ने समय-समय पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान चलाए हैं, ताकि लोगों को भोजन की बर्बादी के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी कि वे स्कूली पाठ्यक्रम में भोजन की बर्बादी की रोकथाम पर एक अध्याय शामिल करें, ताकि स्कूली बच्चों में जागरूकता पैदा की जा सके और उन्हें इस विषय पर संवेदनशील बनाया जा सके।

****